, संख्या-459/उन्तीस(2)/09–2(09पे0)/2009

प्रेषक,

एम0एच0खान
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 15 जून, 2009

विषय– वित्तीय वर्ष 2009–10 में राज्य सैक्टर की ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत विकासखण्ड देवप्रयाग की हिण्डोलाखाल–हिसंरियाखाल ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना के विशेष मरम्मत हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 145/अप्रैजल–टिहरी/दिनांक 24.01.09 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आप द्वारा जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड देवप्रयाग की हिण्डोलाखाल–हिसंरियाखाल ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना के विशेष मरम्मत हेतु उपलब्ध कराये गये प्रस्तावित लागत रू0 144.71 लाख के सापेक्ष रू0 116.43 लाख (रू0 एक करोड़ सोलह लाख तैतालीस हजार मात्र) की लागत पर प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति के साथ ही चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 में राज्य सैक्टर की ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत रू0 50.00 लाख (रू0 पचास लाख मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु निम्न प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2 स्वीकृत की जा रही धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल कोषागार देहरादून में प्रस्तुत करके आहरित की जायेगी। आहरण से सम्बन्धित बिल बाउचर संख्या व दिनांक की सूचना शासन एवं महालेखाकार को आहरण के तुरन्त बाद उपलब्ध कराई जायेगी।

3 स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो पर किया जायेगा जिनके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी भी दशा में अन्य योजनाओं पर व्यय नहीं किया जायेगा।

4– चूंकि यह कार्य केवल रखरखाव/मरम्मत का है एवं चूकि जिम्मेदारी संचालनकर्ता संस्था के रूप में पेयजल निगम की ही वर्तमान में बनी हुई है। अतः इस कार्य के लिए निगम को कोई सैन्टेज अनुमन्य नहीं होगा।

5– व्यय करने से पूर्व जिन मामलो में बजट मैनुअल/ फाईनेन्शियल हैण्डबुक नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी। निर्माण कार्यो पर व्यय करने से पूर्व आगणनों पर प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम अधिकारी की टेक्निकल स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

6 कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता प्रत्येक दशा में सुनिश्चित की जायेगी एंव कार्यदायी संस्था के रूप में प्रबन्ध निदेशक इस हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।

7 व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्त नियमावली एवं अन्य तदविषयक नियमों का अनुपालन किया जाय।

क्रमश..2

8— स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग 39.09.2009 तक सुनिश्चित कर लिया जाय।

9— कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेडयूल ऑफ रेटस में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियनता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।

10— कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी राशि स्वीकृत की गई है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

11— कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

12— कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता से कार्य स्थल का भली—भॉति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।

13— निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला में अवश्यक करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए।

14— मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.06 द्वारा निर्गत आदेशो का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

15 उक्त स्वीकृत धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2009—10 में अनुदान संख्या 13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक—2215—जलपूर्ति तथा सफाई—01—जलपूर्ति— आयोजनागत—102—ग्रामीण जलपूर्ति कार्यकम—03—ग्रामीण पेयजल राज्य सैक्टर— 00—20—सहायक अनुदान/अशंदान/राजसहायता के नामे डाला जायेगा।

11 यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 41/XXVII (2)/2009 दिनांक 12 जून , 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(एम0एच0खान)
सचिव

संख्या 4591(1)/उन्तीस(2)/09—2(09पे0)/2009,तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2— आयुक्त, गढ़वाल मण्डल।
3— जिलाधिकारी, देहरादून/ टिहरी
4- मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
5— मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
6— निजी सचिव, मा0 पेयजल मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
7— स्टाफ ऑफिसर—मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।
8— वित्त अनुभाग—3/राज्य योजना आयोग/वित्त बजट सैल।
9— निदेशक, सूचना एंव लोक सम्पर्क निदेशालय, ई0सी0 रोड, देहरादून।
10— निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11—सचिव—मा0 मुख्यमंत्री, मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।।
15 गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव